फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार राजसमन्द (31213) जिला राजसमन्द
– प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. श्री कृष्ण वल्लभ सनाढ्य पुत्र श्री चन्द्र नाथ सनाढय पता :– ग्राम कुंवारिया, कुंवारिया रेलवे स्टेशन के पास, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.) 313327
2. श्री यंशवन्त शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा पता :– छिपा मोहल्ला, कांकरोली, जिला राजसमंद (राज.) 313324

– ऋणी / जमानतदार

किस्म मुकदमा-- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 07 / 2024**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	दिनांक 02.05.2024 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा राजसमन्द ने दिनांक 16.04.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने ऋणी श्री कृष्ण वल्लभ सनाढ्य पुत्र श्री चन्द्र नाथ सनाढ्य पता ग्राम कुंवारिया, कुंवारिया रेलवे स्टेशन के पास, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.) 313327, जमानतदार श्री यंशवन्त शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा पता छिपा मोहल्ला, कांकरोली, जिला राजसमंद (राज.) 313324 को रूपये 40,00,000 /– का ऋण स्वीकृत किया था जिसे बढाकर रूपये 43,64,000 /– का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी / ऋणियों / जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण की सुविधा के एवज में उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :– चल सम्पत्ति Hypothecation of Stock निम्न पता है ग्राम कुंवारिया, कुंवारिया रेलवे स्टेशन के पास, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.) 313327 है एवं अचल सम्पत्ति :– आवासीय सम्पत्ति भुमि एंव भवन जो पट्टा न. 93 / 90, दिनांक 31.10.1990. आराजी संख्या 36. राजस्व ग्राम कांकरोली, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.) मे स्थित है जो श्री यंशवन्त शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा	कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2720 वर्ग फिट है जिसके पड़ौस निम्न हैं पूर्व :– रास्ता, पश्चिम :– महेश चन्द्र शर्मा का प्लाट, उत्तर :– देवका बाई की कृषि भुमि, दक्षिण :– राजनगर से कांकरोली रोड। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 29.10.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। उक्त ऋण बाबत् दिनांक 08.11.2023 को एक मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि रूपये 43,44,450/– रू. दिनांक 03.11.2023 तक एवं इसके पश्चात से ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिये बकाया निकलने से राशि की मांग की है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है। तथा संपत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नोटिस दिनांक 08.11.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजुद भी अप्रार्थीगण/ऋणी, द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक चल एवं अचल सम्पति :– चल सम्पत्ति Hypothecation of Stock निम्न पता है ग्राम कुंवारिया, कुंवारिया रेलवे स्टेशन के पास, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.) 313327 है एवं अचल सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति भुमि एंव भवन जो पट्टा न. 93/90, दिनांक 31.10.1990. अराजी संख्या 36. राजस्व ग्राम कांकरोली, राजसमंद, जिला राजसमंद (राज.) मे स्थित है जो श्री यंशवन्त शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा

न्यायालय जिला कलक्टर

के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2720 वर्ग फिट है जिसके पड़ौस निम्न हैं पूर्व :– रास्ता, पश्चिम :– महेश चन्द्र शर्मा का प्लाट, उत्तर :– देवका बाई की कृषि भुमि, दक्षिण :– राजनगर से कांकरोली रोड।

उपरोक्त चल एवं अचल सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, सदर बाजार राजसमन्द के प्राधिकृत अधिकारी को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, सदर बाजार, राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

(भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)